

FROM No.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
मज अदालत..... मुकाम.....

बनाम
दस्तावेज नं. 111/128/2020 नं. 129/2020 सन्.....

किस्म मुकदमा.....

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28-07-20	<p>प्रार्थी/व्यक्ती/अपीलेंट के वकील श्री ने यह प्रार्थना पत्र/बन्द/अपील धारा राजस्थान कायदा/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक को पेश हो।</p>	
08/09/20	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगो के नोटिस तामील खुला प्राप्त जिये शामिल पत्रावली दिनांक 24/09/2020 लावजुस तामिल अनुपस्थित जिये किराड एडवोकेट कार्यालय के माई जाडर पत्रावली वास्ते कलम दिनांक 24/09/2020 को पेश हो।</p>	
24/09/2020	<p>सहायक कलक्टर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपस्थित/विप्राथीगो के नोटिस तामिल खुला प्राप्त जिये शामिल पत्रावली दिनांक 24/09/2020 लावजुस तामिल अनुपस्थित जिये किराड एडवोकेट कार्यालय के माई जाडर पत्रावली वास्ते कलम दिनांक 24/09/2020 को पेश हो।</p>	

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु



प्रार्थी को अपने धर्म की समझौते का सही ज्ञान नहीं
पा रहा है। प्रार्थी को अपने धर्म की समझौते का सही ज्ञान
करने हेतु नेवमबंसी इलाका प्रशासक हैं। धर्म के लोको
को लेकर प्रार्थी व विपक्षियों के मध्य धर्म के लोको को
लेकर हमेशा तनाव बना रहता है। इसलिए प्रार्थी का
नेवमबंसी इलाका प्रशासक विभा जाकर नेवमबंसी इलाका
विभा जावे।

प्रति: प्रार्थी अधिकार के सिद्ध पर प्रार्थी का
नेवमबंसी इलाका प्रशासक विभा जाकर लक्ष्मीपुर गाँव
को कमिश्नर व सम्बन्धित श्री कमिश्नर निरिस्तु को
सहायक कमिश्नर निरिस्तु विभा जाकर प्रार्थी विभा जाता
है कि प्रायः स्वयं या लक्ष्मीपुर कमिश्नर के प्रार्थी के
प्रकारेण धर्म की पक्ष नेवमबंसी इलाका प्रशासक
द्वारा जमा कराकर डरो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल
पत्रावली ही पत्रावली प्रेमल कुमार हीडा डज नाकर
से कम ही दायित्व दफतर ही।



सहायक कलक्टर
(SDO) वायतु

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

दिनांक :- 24/09/2020

/आवेदन/2020/699
स्व आवेदन संख्या -179/2020

प्रार्थी

बनाम

विप्रार्थीगण

श्री मुसा खां पुत्र अमरे खां
वगैरा 3 जाति-मुसलमान
निवासी-सुजाणियों की ढाणी,
कसुम्बला भाटियान,
तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर

श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा
17, निवासी-सुजाणियों की ढाणी,
कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा,
जिला-बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश


प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा-सुजाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल-कसुम्बला भाटियान, तहसील-गिड़ा, जिला-बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 69, 62, 63 रकबा क्रमशः 33.18, 00.17, 105.08 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।




कमांक/आवेदन/2020/700-704

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, गिड़ा।
2. पटवारी हल्का, कसुम्बला भाटियान को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री मुसा खां पुत्र अमरे खां वगैरा 3।
4. विप्रार्थीगण श्री हबीब खां पुत्र बीलाल खां वगैरा 17।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा।


(विवेक व्यास) (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक :- 24/09/2020


(SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु